Universal Declaration of Human Rights-Kisan Language

मानब अदिकारकर बिस्वब्यापि घोसनापत्र

प्रस्तावना

बिस्वकर मानब परिबारकर सबे सदसेमनकर अन्तरनिहित प्रतिस्ठा, समानता आउर लुइटके लेगेक निसकेक अदिकारमनकर सम्मानकर स्वतन्त्रता, न्याय आउर सान्ति आधार हके तेकरले,

मानब अदिकारमनकर अवहेलना आउर उपेक्छाकर परिनाम स्वरुप मानब सागाकर बिबेकके ए चोट पुगेक नियर बर्बर मइत्काकर काम हके तेकरले आउर मानब सागाके निडाराइके आपन आस्था आउर वाक स्वतन्त्रताकर उपभोग करेक पावेक सर्बसाधारन जान्ताकर सबसे उँच आकाम्छा हके तेकरले,

अत्याचार आउर दमनकर बिरुद्ध अन्तिम उपायकर रुपमे बिद्रोह करेक अदमिके बाध्य निकर्वाएक कान्हुनकर सासनसे मानब अदिकारकर सम्रक्छन करेक एकदम आवस्यक होइहिक तेकरले,

देसमनकर बिचे मइत्रिपुर्न सम्बन्ध अभिबृद्धि करेक आवस्यक दिस हिक तेकरले,

सम्युक्त रास्टसङ्घकर जान्तामन बाडापत्रमे मानबकर मउलिक अदिकारमन आउर मानबकर प्रतिस्ठा तथा मरद आउर सियानि बिच बाराबइर अदिकारमन अभिब्यक्त कइरके बृहत स्वतन्त्रताकर साथे सामाजिक प्रगति आउर जिबनइस्तर प्रबर्द्धन करेक दृड़ सङ्कल्प कइरहिक तेकरले,

सदसे देसमन सम्युक्त रास्टसङ्घकर सहेतामे मानब अदिकारमन आउर मउलिक स्वतन्त्रता पाइके बिस्वब्यापि सम्मान, पालना आउर प्रबर्द्धन करेक प्रतिग्या कइरहिक तेकरले, आउर ए अदिकार आउर स्वतन्त्रता पुरा पावेक लागिन बाराबइर समझदारि होएक महत्वपुर्न हिक तेकरले,

महासभा सबे जान्ता आउर सबे देसमन हासिल करेक एक साझा मापदन्डकर रुपमे ए मानब अधिकारकर बिस्वब्यापि घोसनापत्र घोसना करेल आउर ए उद्येस्यकर लागिन प्रत्येक लोग आउर सामाजकर प्रत्येक अङ् ए घोसनापत्रके निरन्तर धियानमे राइखके सिखाएक आउर सिक्छयाकर माध्यमसे ए अदिकार आउर स्वतन्त्रतामन प्रति सम्मान प्रबर्द्धन करेक, रास्टिय तथा अन्तरास्टिय इस्तरमे, सदसे रास्टकर बिच, ओमनकर छेत्र आउर छेत्राधिकार अन्तर्गत ओ अदिकारमनकर सम्मान आउर पालना करेक कोसिस रेहेक बिस्वास लेइहिक ।

धारा १

सबे लोग इज्जत आउर अदिकारकर आधारमे जन्मेसे स्वतन्त्र आउर बाराबइर रेहेल, ओमन बुधि आउर बिबेक लेइके आइरेहेल आउर एक आनेप्रति भातृत्वकर ब्यबहार करल जाएक परि ।

मिति: २०६०/१०/१४

कहरु किसान



धारा २

जाइत, बर्न, लिङ्ग, भासा, धरम, राजनइतिक वा आने बिचारधारा, रास्टिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति, जनम वा आने कोनो हइसियत जिसन कोनो हाँ आधारमे कोनो मइत्काकर भेदभाब बेगर प्रत्येक लोगके ए घोसनापत्रमे लिखल अदिकार आउर स्वतन्त्रतामनकर अदिकार होइ । एकर अतिरिक्त राजनइतिक, छेत्राधिकार या आउर देस वा छेत्रसे सम्बन्धित लोग, कोनो हाँ स्वतन्त्र, सम्रक्छित, स्वसासन रहित वा बाहिर सत्तासे सासित देस कहेक जिसन कोनो हाँ आधारमे भेदभाब निकरल जाए ।

धारा ३

प्रत्येक लोगके जिबन स्वतन्त्रता आउर सुरक्छयाकर अदिकार होइ ।

धारा ४

कोखाँला बधुवा वा दास बानाइके निराखल जाए । कोनो हाँ मइत्काकर दासत्व आउर दास बेपारके माना करल जाइहिक ।

धारा ५

कोनो हाँ लोगके सारिरिक यातना देवेक वा क्रुर, अमानबिय वा अपमानजनक ब्यबहार वा साजाय निकरल जाए ।

धारा ६

सबदने कान्हुनकर नजइरमे हरेक लोगके लोगकर रुपमे मान्यता पावेक अदिकार होइ ।

धारा ७

सब लोगमन बिना भेदभाब कान्हुनकर नजइरमे बाराबइर होइ आउर कान्हुनकर आधारमे सबके बाराबइर ब्यबहार करल जाइ । सब लोगमनके ए घोसनापत्रकर उल्लङ्घन, वा आउर आने कोनो हाँ मइत्काकर भेदभाबकर लागिन उत्तेजित करेक बिरुद्ध कान्हुनकर बाराबइर सम्रक्छन पावेक अदिकार होइ ।

धारा ८

प्रत्येक लोगके सम्बिधान वा कान्हुनसे देल मउलिक अदिकारमनके उल्लङ्घन करेक काममन बिरुद्ध सक्छम न्यायलयसे प्रभाबकारि दवइबिरो पावेक अदिकार होइ ।

मिति : २०६०/१०/१४

मेरिक किसान



धारा ९

कोखोँला हौँ मनपरि ढङ्से धरपकड़ करेक, नजइरबन्दमे राखेक वा देस निकाला निकरल जाए ।

धारा १०

प्रत्येक लोगकके ओकर उपर लागाल फउजदारि अभियोग वा निजकर अदिकार आउर दायित्वकर निरुपन करेखन स्वतन्त्र आउर सक्छम न्यायलयमे बाराबइर ढङ्से निस्पक्छय आउर सार्बजनिक सुनुवाइ करेक पावेक अदिकार होइ ।

धारा ११

(१) डँड़फन्द होएक कसुरकर अभियोग लागल प्रत्येक लोगके सार्बजनिक सुनुवाइमे आपन प्रतिरक्छयाकर लागिन आवस्यक पारमानमन पेस करेक आउर कान्हुन आनासर दोसि निठहरलतक निदोर्स होएक अदिकार होइ ।

(२) कोनो लोगके काम करेक बेला रास्टिय वा अन्तरास्टिय कान्हुन दन्डनिय कसुर निठहरल कामके उसन काम करेक कोनो हौँ लोगके दन्डनिय कसुरकर दोसि प्रमानति कइरके साजाय निकरल जाए । आउर ओ दन्डनिय कसुर करेक बेला लागु करल साजायसे बाग्रा साजाय हौँ निकरल जाए ।

धारा १२

कोनो हौँ लोगकर गोपनियता, परिबार, घर वा पत्र ब्यबहार मनपरि वा गइरकान्हुनि हस्तछेप निकरल जाए । आउर ओकर प्रतिस्ठा तथा ख्यातिमे कोनो हौँ गइरकान्हुनि आक्रमन निकरल जाए । प्रत्येक लोगके उसन हस्तछेप वा आक्रमन बिरुद्ध कान्हुनसे सम्रक्छन पावेक अदिकार होइ ।

धारा १३

१. प्रत्येक लोगके आपन देसकर सिम्ना भितर आवेक जाएक तथा बसोबास करेक पावेक स्वतन्त्रताकर अदिकार होइ ।

२. प्रत्येक लोगके आपन देस या आउर कोनो हौँ देस छोड़ेके पावेक आउर आपन देस घुरेक पावेक अदिकार होइ ।

धारा १४

१. प्रत्येक लोगके अत्याचार आउर उत्पिड़नसे बाँचेक कोनो हौँ देसमे आस्रय लेक पावेक अदिकार होइ ।

मिति: २०८०/१०/१४

किसान सामुदाय विकास संस्था मर्चीनार, झापा

२. गइर-राजनितिक आप्रादमन वा सम्युक्त रास्टसङ्घकर उद्येस्य आउर सिद्धान्ततमन बिरुद्धकर काममनसे बास्तबिक रुपमे उत्पन्न होल मुद्दामनमे हले ए अदिकारकर उपभोग निकरेक साकाए ।

धारा १५

१. प्रत्येक लोगके रास्टियताकर अदिकार होइ ।

२. कोनो हौं लोगके मनपरि ढङ्से ओकर रास्टियतासे बन्चित निकरल जाए, हले कोनो हौं लोगके रास्टियता बदलेक पावेक अदिकारसे हौं बन्चित निकरल जाए ।

धारा १६

१. उमेर पुगल मरद तथा सियानिके जाइत, रास्टियता वा धरमकर बन्देज बेगर सादि कर्ले परिबार बोइठाएक अदिकार होइ । ओमनके सादि करेक बेला, बइबाहिक सम्बन्ध रहल बेला आउर छुटाछुटिकर बेला बाराबइर अदिकारमन प्राप्त होइ ।

२. कनिया आउर बोर दुयोके स्वतन्त्र तथा पुरा राजिखुसिमे एकल सादि गुद्राल जाइ ।

३. परिबार सामाजकर प्राकृतिक तथा आधारभुत इकाइ हके । तेकरचाड़े परिबार सामाज तथा रास्टके पावेक अदिकार राखेल ।

धारा १७

१. प्रत्येक लोगके आपन ब्यक्तिगतकर साथे आउर लोगमनसङ्कर सम्लग्नतामे सम्पति राखेक अदिकार होइ ।
२. कोनो हौं लोगके मनपरि ढङ्से ओकर सम्पतिसे बन्चित निकरल जाए ।

धारा १८

प्रत्येक लोगके आपन बिचार राखेक, बिबेक परयोग करेक तथा धरमकर स्वतन्त्रताकर अदिकार होइ । ए अन्तर्गत ओ चुनल धरम वा आस्था बदलेक स्वतन्त्रता, ब्यक्तिगत रुपमे वा आउरसङ् मिलके, सार्बजनिक वा निजा रुपमे पुजाआजा करेक स्वतन्त्रताकर साथे, आपन धरम मानेक, आपन धरम सिखाएक, आस्था प्रकट करेक, पुजाआजा करेक पावेक स्वतन्त्रतामन इत्यादि परेल ।

धारा १९

प्रत्येक लोगके बिचार आउर अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताकर अदिकार होइ । ए अदिकार अन्तर्गत बिना हस्तछेप आपन बिचारमन राखेक पावेक स्वतन्त्रता, सिम्नाकर बन्देज बिना कोनो माध्यम मार्फत सुचना आउर बिचारमन पावेक, खोजेक तथा प्रसार करेक स्वतन्त्रता समेत परेल ।

मिति : २०६०/१०/१४

कहरु किसान



धारा २०

१. प्रत्येक लोगके सान्तिपुर्बक सभा करेक आउर सङ्गठन खोलेक स्वतन्त्रताकर अदिकार होइ ।

२. कोनो हाँ लोगके कोनो हाँ सङ्गठनमे सम्लग्न होएक बाध्य कर्वाएक निसकल जाए ।

धारा २१

१.प्रत्येक लोगके प्रत्यक्छ वा स्वतन्त्र रुपमे चुनाल प्रतिनिधि मार्फत आपन देसकर सरकारमे भाग लेवेक पावेक अदिकार होइ ।

२. प्रत्येक लोगके आपन देसकर सार्बजनिक सेवामे बाराबइर पहुँच पावेक अदिकार होइ ।

३. सारकारकर सासन करेक आधार जान्ताकर इच्छामे होइ । इसन इच्छा आवधिक आउर निस्पकछय मतदानसे अभिब्यक्त करल जाइ आउर उसन निर्बाचन गोप्य मतदान वा आउर मइत्काकर मतदान प्रनालिसे करल जाइ ।

धारा २२

सामाजकर सदसेकर हइसियतमे प्रत्येक लोगके सामाजिक सुरक्छयाकर अदिकार होइ, साथे प्रत्येक लोगके राइजकर रास्टिय कोसिस वा अन्तरास्टिय सहेता मार्फत तथा प्रत्येक देसकर स्रोत आउर साधन आनसार ओकर प्रतिस्ठा आउर स्वतन्त्र ब्यक्तित्वकर बिकासकर लागिन अनिबारे आर्थिक, सामाजिक आउर साँस्कृतिक अदिकारमन उपभोग करेक अदिकार होइ ।

धारा २३

(१) प्रत्येक लोगके काम करेक, आपन इच्छासे रोजकारि चुनेक आउर कामकर लागिन उचित आउर अनुकुल परिस्थितिकर सिर्जना आउर बेरोजगारि उपर सम्रक्छन पावेक अदिकार होइ ।

२. प्रत्येक लोगके कोनो हाँ भेदभाब बिना बाराबइर कामकर लागिन बाराबइर हाज्रि पावेक अदिकार होइ ।

(३) काम करेक प्रत्येक लोग आउर ओकर परिबारकर लागिन मानबिय प्रतिस्ठा आनसार जिबिकाकर लागिन उचित आउर अनुकुल हाज्रि पावेक आउर आवस्यक हिक हले सामाजिक सम्रक्छनसे तथा आउर आने उपायमनसे ओकरमे भरथेककर अदिकार होइ ।

४. प्रत्येक लोगके आपन हितकर लागिन ट्रेड युनियन खोलेक आउर ओकरमे भाग लेक पावेक अदिकार होइ ।

मिति:२०६०/१०/१४

कहिले किसान

धारा २४

प्रत्येक लोगके मुनासिब काम समइ सिम्ना आउर तलब सहितकर आबधिक छुटि सहित आराम आउर फुर्सइतकर अदिकार होइ ।

धारा २५

(१) प्रत्येक लोगके ओकर आउर ओकर परिबारकर स्वास्थ्य आउर कल्यानकर लागिन खाद्यान्न, काप्ड़ा, आबास तथा दवइबिरोकर सुबिस्तामन आउर आवस्यकता आनसार सामाजिक सेवामन सहित इस्तरयुक्त जिबन जिएक अदिकार होइ । साथे बेरोजगारि, बेमार, असमर्थता, रँड़खुर्हि, बुढ़ातकालमे वा ओकर काबु बाहिर आउर परिस्थितिमे साधन आउर स्रोतकर अभावमे जिबिकोपार्जनमे समसिया होइ हले सुरक्छयाकर अदिकार होइ ।

(२) मायँ आउर छउवाके बिसेस देखभाल आउर सहेता पावेक अदिकार होइ । बइबाहिक सम्बन्ध होइके वा निहोइके जन्मल सबे छउवामनके बाराबइर सामाजिक सम्रक्छन उपभोग करेक अदिकार होइ ।

धारा २६

(१) प्रत्येक लोगके सिक्छयाकर अदिकार होइ । कम्तिमे हौं प्रारम्भिक आउर आधारभुत सिक्छया निसुल्का होइ । प्रारम्भिक सिक्छया अनिबारे होइ । प्राबिधिक आउर ब्यबसायिक सिक्छया सबके सुलभ होइ आउर उच्च सिक्छया योग्यताकर आधारमे सबके बाराबइर रुपसे उपलब्ध होइ ।

(२) सिक्छया, मानबिय ब्यक्तित्वकर पुरा बिकास आउर मानब अदिकार तथा मउलिक स्वतन्त्रताकर सम्मानके बोजोर बानाएक बटे निर्देसित होइ । सिक्छया सबे रास्ट, जाइत आउर धार्मिक खोढ़ामनबिचे समझदारि, सहिस्नुता आउर मित्रताकर प्रबर्द्धन करेक आउर सम्युक्त रास्टसङ्घकर सान्ति कायम करेक कोसिसमनके आगे बाढ़ाएक सहेता करि ।

(३) आपन सान्तानके देवेल्से सिक्छया चुनेक प्राथमिक अदिकार मायँबाफके होइ ।

धारा २७

१. प्रत्येक लोगके आपन सागाकर साँस्कृतिक जिबनमे स्वतन्त्रपुर्बक सहभागि होएक, कला उपयोग करेक आउर बइग्यानिक प्रगति तथा एकर उपयोगकर फएदामन उपभोगक करेक अदिकार होइ ।

(२) प्रत्येक लोगके ओ रचना वा सिर्जना करल कोनो हौं बइग्यानिक, साहित्यिक वा कलात्मक कृतिसे पावल नइतिक आउर भउतिक लाभमनकर सम्रक्छन करेक अदिकार होइ ।

मिति : २०६०/१०/१४

केहरि किरात

किसान सामुदायिक विकास संस्था
मङ्गलनगर, झापा

धारा २८

प्रत्येक लोगके ए घोसनापत्रमे लिखल अदिकार आउर स्वतन्त्रतामन पुरा रुपसे पावेक सकेक सामाजिक आउर अन्तरास्टिय अदिकार होइ ।

धारा २९

(१) प्रत्येक लोगके आपन सामाजप्रति दायित्व होइ । उसन सामाजमे बोइठके एकल लोगकर स्वतन्त्रता आउर पुरा ब्यक्तित्व बिकासकर सम्भावना होएल ।

(२) आपन अदिकार आउर स्वतन्त्रताकर उपभोग करेखन प्रत्येक लोग आउरकर अदिकार आउर स्वतन्त्रताकर आदर करेक परि आउर प्रजातान्त्रिक सामाजकर नइतिकता, सार्बजनिक ब्यबस्था आउर सर्बसाधारनकर कल्यानकर लागिन चाहेल्से उचित आवस्यकतामन हासिल करेखन कान्हुनसे निर्धारित सिम्ना भितर रेहेक परि ।

(३) ए अधिकार आउर स्वतन्त्रतामन सम्युक्त रास्टसङ्घकर सिद्धान्त आउर उद्येस्यमन बिपरित होएक लखे कोनो हाँ हालमे उपभोग करेक निपावल जाए ।

धारा ३०

कोनो रास्ट, बरग, वा लोग ए घोसनापत्रमे लिखल अदिकार आउर स्वतन्त्रतामनके कुठाराघात करेक उद्येस्यसे वा उसन मइत्काकर काम करेक सकेक नियर वा काम करेक नियर ए घोसनापत्रमे लिखत अदिकार आउर स्वतन्त्रतामनके ब्याख्या करेक निसाकाए ।

(१० डिसेम्वर १९४८ मे सम्युक्त रास्टसङ्घकर महासभासे पारित ।)

मिति : २०६०/१०/१४

कहरु किरात

किसान समुदाय विकास [illegible]